



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 383/2022धारा- 302/34,201 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गण 1.सुनील कुमार तिवारी उर्फ सुनील बंसल पुत्र बंशीधर निवासी किंगरोड थाना को0 नगर जनपद हमीरपुर 2.जमुना प्रसाद नाई पुत्र परमलाल सविता निवासी बंगाली मुहाल रमेडी थाना को0 नगर जनपद हमीरपुर को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15,000-15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री विशम्भर
पाल



विवेचक-
निरी0 दुर्गविजय
सिंह



पैरोकार- थाना को0 नगर
हे0का0 बिजमान